पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2017/17 (अनु०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,

अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक 15/5/2020

विषय: विभागीय राज्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 13.04.2020 के आलोक में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु स्वीकृत कुल ₹25.92 करोड़ (पचीस करोड़ बानवें लाख रूपये) मात्र की राशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 13.04.2020 द्वारा पंचम राज्य वित आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद की कुल ₹1401.17 करोड़ (चौदह अरब एक करोड़ सत्रह लाख रूपये) मात्र की अनिकासित राशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य में कार्यरत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों एवं जिला पंचायत कार्यालय के बीच वितरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु कुल ₹25.92 करोड़ (पचीस करोड़ बानवें लाख रूपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

2. उक्त के आलोक में ग्राम पंचायतों के कार्यपालक सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु निम्नलिखित विवरणी के अनुरूप **कुल ₹25.92 करोड़ (पचीस करोड़ बानवें लाख रूपये) मात्र की राशि** आवंटित की जाती है:

क्र०	जिला	ग्राम पंचायत के कार्यपालक सहायकों के मानदेय हेतु आवंटित राशि
1	2	3
1	Araria	10000000.00
2	Aurangabad	7800000.00
3	Banka	2000000.00
4	Begusarai	3500000.00
5	Bhagalpur	10000000.00
6	Bhojpur	8200000.00
7	Buxar	4900000.00
8	Darbhanga	11500000.00
9	E. Champaran	12700000.00
10	Gaya	2400000.00
11	Gopalganj	7300000.00
12	Jamui	5200000.00

13	Jehanabad	4000000.00
14	Kaimur	5100000.00
15	Katihar	8000000.00
16	Khargaria	2900000.00
17	Kishanganj	4200000.00
18	Lakhisarai	1500000.00
19	Madhepura	9500000.00
20	Madhubani	15000000.00
21	Munger	3400000.00
22	Muzzafarpur	15000000.00
23	Nalanda	10000000.00
24	Nawada	6400000.00
25	Patna	8400000.00
26	Purnia	6400000.00
27	Rohtas	6900000.00
28	Samastipur	12500000.00
29	Saran	12000000.00
30	Sheikhpura	900000.00
31	Sheohar	1800000.00
32	Sitamarhi	10000000.00
33	Siwan	10000000.00
34	Supaul	7500000.00
35	Vaishali	1600000.00
36	W. Champaran	10700000.00
	Total :-	259200000.00

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो विभागीय राज्यादेश संख्या 01(स्वी०) दिनांक 13.04.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के "मुख्य शीर्ष--2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष - 198-ग्राम पंचायतों को सहायता-- उपशीर्ष - 0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" अंतर्गत विषय शीर्ष '0009.31.06 सहायक अनुदान - गैर वेतन' से की जायेगी। इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515001980009 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017 के पृष्ठ संख्या 63/टि० पर दिनांक 15/5/20 को प्राप्त है।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

15/05/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017/1731/पं०रा० पटना, दिनांक 15/5/2020
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 6/लेखापाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/05/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 01-08/2017/1731/पं०रा० पटना, दिनांक 15/5/2020
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/05/2020

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी